

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)



कार्यालय : 265228, 264236

फेक्स : 07582-264236

E mail - registrar@dhsgsu.edu.in

www.dhsgsu.ac.in

कुलसचिव

विश्वविद्यालय कार्यालय, सागर 470003(म.प्र.)

कमांक: डीसीडीसी / 2026-27 / 3529

19 मई, 2026

:: अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय से संबद्ध अशासकीय महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त संचालित सामान्य पाठ्यक्रमों में सत्र 2026-27 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया के नियम एवं समय सारणी जारी की जाती हैं।

आदेशानुसार,

H. P. Singh
कुलसचिव 18/5/2026

संलग्नक : यथोक्त।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, अकादमिक गतिविधियाँ, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर
2. अधिष्ठाता, छात्र गतिविधियाँ, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर
3. परीक्षा नियंत्रक, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर
4. प्राचार्य, समस्त संबद्ध अशासकीय महाविद्यालय, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एम.पी. ऑनलाइन, भोपाल
6. प्रभारी, आई.टी.सेल-को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. कुलपति के सचिव-को कुलपति महोदय के सूचनार्थ
8. कुलसचिव के निज सहायक
9. कार्यालयीन नस्ती

NPSingh
19/5/2026

निदेशक

महाविद्यालयीन विकास परिषद

**डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से संबद्ध
अशासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2026-27 में प्रवेश हेतु नियम एवं समय-सारणी**

विश्वविद्यालय से संबद्ध अशासकीय महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त पाठ्यक्रमों में सत्र 2026-27 में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में निम्न नियम एवं प्रवेश समय-सारणी निर्धारित किये जाते हैं :

1. महाविद्यालयों में वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्राप्त संचालित पाठ्यक्रमों के लिए ही यह प्रवेश प्रक्रिया लागू होगी अर्थात् महाविद्यालय उन्हीं पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश प्रदान करेंगे जिन पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त है।
2. महाविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में वर्तमान सीट संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
सभी संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए एम.पी. आनलाइन के माध्यम से मेरिट के आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया आनलाइन सम्पन्न होगी। पंजीकृत छात्र/छात्राओं के मूल दस्तावेज विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा सत्यापन किये जाने के उपरांत ही महाविद्यालय में अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर गुणानुक्रम के आधार पर मेरिट सूची एम.पी. आनलाइन द्वारा जारी की जावेगी। इसके पश्चात् मेरिट सूची अनुसार आनलाइन कौंसिल के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
4. संबद्ध महाविद्यालय द्वारा प्रवेश उपरांत आनलाइन रिपोर्टिंग विश्वविद्यालय के पोर्टल पर करनी होगी।
5. सभी महाविद्यालयों में पूर्व में निर्धारित सीट संख्या, कोर्स अनुसार जो पोर्टल पर सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु दर्ज है वही संख्या एवं कोर्स मान्य होंगे।
6. (1) विधि पाठ्यक्रम में बी.सी.आई. (बार काउंसिल आफ इंडिया) द्वारा निर्धारित सीट संख्या एवं प्रवेश नियम मान्य होंगे।
(2) सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एज्युकेशन (सी.बी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएँ मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है।
(3) सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन आफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, की समस्त परीक्षाएँ राज्य के विश्वविद्यालयों की परीक्षा के सम मान्य होगी।
(4) बी.ए., बी.काम., बी.एससी., बी.सी.ए., बी.बी.ए., एम.ए., एम.काम., एम.एससी. के लिए प्रवेश संबंधी नियम डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के मान्य होंगे।
(5) संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता विहीन महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की परीक्षा/उपाधि मान्य नहीं होगी।
7. संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेशित विद्यार्थियों के नामांकन की आनलाइन प्रक्रिया विश्वविद्यालय के नियमानुसार महाविद्यालय द्वारा पूर्ण की जावेगी।

N/19/15/26

8. आनलाइन प्रवेश प्रक्रिया समय-सारणी -

क्र.	कार्य का विवरण	निर्धारित तिथियाँ	
		दिनांक से	दिनांक तक
प्रथम चरण			
1	आवेदकों के आनलाईन पंजीयन एवं शिक्षण संस्थाओं का चयन / (वरीयता व्यक्त करना)	21.05.2026	30.05.2026
2	पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन	01.06.2026	04.06.2026
3	मेरिट एवं वरीयता अनुसार प्रथम चरण में सीट आवंटन	05.06.2026	
4	आवंटित महाविद्यालय में आवेदक प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज जमा कर पोर्टल के माध्यम से आनलाइन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना। प्रवेश शुल्क के भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा।	05.06.2026	10.06.2026
द्वितीय चरण			
5	आवेदकों के आनलाईन पंजीयन एवं शिक्षण संस्थाओं का चयन / (वरीयता व्यक्त करना)	12.06.2026	20.06.2026
6	पंजीकृत आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन	22.06.2026	24.06.2026
7	मेरिट एवं वरीयता अनुसार द्वितीय चरण में सीट आवंटन	25.06.2026	
8	आवंटित महाविद्यालय में आवेदक प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज जमा कर पोर्टल के माध्यम से आनलाइन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना। प्रवेश शुल्क के भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा।	25.06.2026	30.06.2026

9. विश्वविद्यालय को किसी भी समय विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार होगा यदि यह पाया जाता है कि - (अ) उसने न्यूनतम अर्हता पूर्ण नहीं की है। (ब) झूठे एवं गलत दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं अथवा सत्य छुपाने पर और इसी प्रकार अन्य कारण पाये जाने पर।
10. प्रवेश से संबंध में सभी संदर्भों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियम प्रभावशील होंगे।
11. आरक्षण के संबंध में शासन के नियम लागू होंगे।
12. विश्वविद्यालय के पोर्टल पर दर्ज एवं निर्धारित शुल्क ही महाविद्यालय द्वारा लिया जावेगा।
13. महाविद्यालय प्रवेशित प्रति विद्यार्थी से पचास रुपये दस्तावेज सत्यापन शुल्क जमा करेगा एवं इस शुल्क को प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के तत्काल बाद विश्वविद्यालय में जमा करेगा।
14. विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन प्रक्रिया के समय विद्यार्थी स्वयं आनलाइन नामांकन शुल्क जमा करेंगे।
15. विद्यार्थी के दस्तावेज का विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन करने एवं सीट आवंटन के उपरांत विद्यार्थी संबंधित महाविद्यालय अपने Login से विद्यार्थी की आनलाइन रिपोर्टिंग करेगा। तत्पश्चात प्रवेशित छात्र शैक्षणिक शुल्क आनलाइन जमा करेगा।
16. प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदकों को एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल पर सर्वप्रथम निर्धारित पंजीयन शुल्क के साथ पंजीयन कराना होगा। जिसमें वह तीन महाविद्यालय की प्राथमिकता दे सकता है। प्रथमतः उन पंजीकृत आवेदकों को प्रवेश दिया जावेगा जो Common University Entrance Test 2026 (CUET-2026) में सम्मिलित हुए हैं। यदि सीटें रिक्त रहती हैं तो CUET-2026 में सम्मिलित नहीं हुये उन छात्रों को जो प्रवेश हेतु अर्हता धारित करते हैं प्रवेश का अवसर दिया जावेगा एवं छात्रों का प्रवेश मेरिट के आधार पर किया जावेगा।
17. पंजीयन उपरांत दस्तावेज सत्यापन का कार्य विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा।
18. प्रवेश के तत्काल बाद महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जावेगी जिसमें टी.सी., माइग्रेशन, फीस जमा एवं प्रवेश (Admitted) दिया गया की जानकारी होगी।